न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 68 / 2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 महेश कुमार पुत्र ओंकार।
2 श्रीमती मूली देवी स्त्री ओंकार समस्त जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 भोलाराम पुत्र टीकुराम।
2 जगदीश पुत्र टीकुराम।
3 मेघाराम पुत्र टीकुराम समस्त जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 छोटुराम पुत्र रिछपाल।
5 प्रेमचन्द पुत्र रिछपाल।
6 कमला देवी स्त्री रिछपाल समस्त जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
7 ओमप्रकाश पुत्र हमीरा।
8 गणपत पुत्र हमीरा।
9 माली देवी स्त्री हमीरा समस्त जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
10 बिमला देवी स्त्री गणेशा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

11 सुमेर सिंह पुत्र गणेशा समस्त जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

12 रतनसिंह पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

13 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र औंकार जाति जाट निवासी झाझड़ियों की ढ़ाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

14 झुंझुनू सहकारी भूमि विकास बैंक झुंझुनू शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।

15 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नानसागेट नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।

16 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी
अधिनियम 1955 अपील विरूद्व निर्णय दिनांक
26.04.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ मुकदमा अनवानी महेश कुमार बनाम
भोलाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 166/2013
प्रार्थना पत्र अ. आदेश 9नियम 13 व धारा 151

उपस्थित

1. श्री राजेश पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गोकुलचन्द अधिवक्ता रेस्पोडेंट

Lamo

भू-प्रबन्ध ... अधिकारी

–निर्णय–

दिनांकः–25.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा वाद संख्या 166/2013 में आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी. में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 1044, 999,1006,1084,996,997,1072,1073, 1412/1072, 1532/1053 गत खसरा नम्बर 393,409,410,411,419 के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय में एक राजस्व वाद संख्या 16/2010 बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व विभाजन प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 की तामिल विचारण न्यायालय में सम्यक नही करवाई गयी विचारण न्यायालय में तामील को सम्यक मानकर 22.02.2012 को प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 30.04.2012 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिसकी जानकारी 09.09.2013 को होने पर प्रार्थी ने विचारण्ण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई 26.04.2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर दी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तामिल पर्याप्त नही थी आदेश 5 नियम 17,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

आदेश 5 नियम 19 सी.पी.सी. की पालना नही की गई है। खुले मकान पर चस्पांदगी से तामील हुई है। आदेशिका में चस्पांदगी का आदेश नही है नोटिसो पर गवाहों के हस्ताक्षर नही है तामील कुनिन्दा के शपथ पत्र नही है अत विधिक प्रकिया का खुला उल्लघन कर मनमर्जी से निर्णय पारित किये गये है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 का आवेदन खारिज किया है दावे में प्रतिवादी 1,2,5,6 की और से जवाब दावा पेश हुआ है तामील केवल सुचना होती है इनको सुचना नही थी इस तथ्य को इन्होंने साबित नही किया है विचारण न्यायालय ने तामिल पर्याप्त मानते हुये निर्णय पारित किया है 01.07.2011 को इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई है। प्राथमिक डिकी जारी हुई विभाजन प्रस्ताव आये है प्रार्थीगण के पिता औंकारमल ने दावा संख्या 44/77 निर्णय दिनांक 30.08.1977 में विभाजन में सहमती दी थी जिससे यह पाबंध है विचारण न्यायालय ने इनका प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील अपीलांट खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में इस स्तर पर केवल मात्र विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटस के तामीली नोटिसो पर निर्णय किया जाना है। हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलांटस के विरूद्व विचारण न्यायालय द्वारा तामील हेतु आदेशिका पर चस्पादंगी से तामील का कोई आदेश पारित नही किया है। विचारण न्यायालय में प्राप्त अपीलांटस के तामीली नोटिस चस्पांदगी से तामील के उपरान्त प्राप्त हुये है इन नोटिसो पर गवाहो के हस्ताक्षर नही है तामील कुन्निदा की रिपोर्ट सशपथ नही है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय की पत्रावली के उपरोक्तानुसार विवेचन से अपीलांटस की तामील विचारण न्यायालय में समयक रूप से करवाया जाना साबित नही होता है इससे सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 17 एवं 5 नियम 19 के प्रावधानों की अवहेलना होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अंतिक डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 26.04.2017 एवं वाद संख्या 16/2010 में पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को वाद संख्या 16/2010 में जवाब दावा पेश करने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधि अनुसार गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.11.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर